न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24 / 2022

प्रार्थीगण — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. मेवाराम पुत्र भबुताराम
2. रकमा देवी पत्नि भबुताराम
3. सुरेश कुमार पुत्र भबुताराम
4. कैलाश पुत्र भबुताराम
5. गंगा पुत्री भबुताराम
   समस्त जातियान रावल ब्राहाण निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. करणसिंह पुत्र राणसिंह
2. जैतसिंह पुत्र राणसिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासी रानीवाड़ा खुर्द
3. बगदाराम पुत्र वेलाराम
4. तेजाराम पुत्र वदाराम
5. प्रकाश कुमार पुत्र रूपाराम
6. चन्दा पुत्र भभूताराम
7. जोशना पुत्री भभूताराम
   समस्त जातियान रावण ब्राम्हण निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक महोदय, आई.सी.आई. सी.आई बैंक शाखा–रानीवाड़ा
9. शाखा प्रबंधक महोदय, जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा–रानीवाड़ा हाल सचिव जालोर सहकारी भूमि विकास जालोर
10. तहसीलदार, रानीवाड़ा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार रानीवाडा।

—: निर्णय :—

दिनांक – 12.01.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगणा की सामलाती खातेदारी आराजी मौजा रानीवाड़ा खुर्द में आई हुई हैं उनके खसरा नम्बर 1682 रकबा 2.46 हैक्टेयर उनके पड़ौस में 1613 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा खसरा नम्बर 1614 रकबा 2.54 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1690 रकबा 0.52 हैक्टेयर खसरा नंबर 1683 रकबा 0.03 गैर मुमकिन तेड, खसरा नंबर 1684 रकबा 0.41 हैक्टेयर की आराजी स्थित हैं जो अप्रर्थीगण संख्या 1 से 5 लगायत है। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 सहखातेदार है जो [illegible] है। उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा सहखातेदार के नाते अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी संख्या 3 ने पैमाईश आवेदन पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के कार्यालय में पेश किया गया। जो क्रमांक संख्या 13 क्रमांक 23–28.04.2022 [illegible] किया गया। दिनांक [illegible].05.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:23 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान तहसीलदार महोदय रानीवाड़ा के आदेश क्रमांक 23/28/04/2022 के आदेश की पालना में मौजा रानीवाड़ा खुर्द के खसरा नंबर 1682 के खातेदार व पड़ौसी काश्तकार उपस्थित हुए मौका व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने हुए खसरा नंबर 1677 गैर मुमकिन बेरा तथा रानीवाड़ा कला के सीमा पर स्थित नेडम पत्थर को मुस्तकिल बिन्दु मानकर जरिए जरिब के सीमा पर स्थित नेडम पत्थर को मुस्तकिल बिन्दु मानकर जरिए जारिब व जी.पी.स द्वारा पैमाईश शुरू की गई मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर खसरा नम्बर 1682 के उतरी लोर पश्चिमी लोर व पूर्वी लोर की माढ कायम की गई तथा खसरा नंबर 1682 करबा 2.46 के दक्षिणी लोर रानीवाड़ा कलां की सीमा पर आया हुआ है, खसरा नम्बर 1682 के दक्षिणी लोर का कुछ हिस्सा रानीवाड़ा कलां के खातेदार करणसिंह पुत्र राणासिंह, जेतसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत के खसरा नंबर 1614 में मिलाया हुआ हैं उक्त खसरा नंबर 1614 के लोर पर विवाद होने पर लोर पर निशानात नहीं करवायें गए इस प्रकार सीमा विवाद बना हुआ है पड़ौसी खातेदार पैमाईश मानने को तैयार नहीं है। तथा प्रार्थी गरीब काश्तकार है अप्रार्थीगण 1 व 2 राजनीतिक पहुॅच वाले धनादय व्यक्ति है। खातेदारी आराजी को हड़पने की आए दिन धमकी देते रहते है। इस प्रकार खातेदारी पर दखलन्दाजी करने की प्रवृति बढ़ गई है इस हेतु प्रार्थना पत्र बाबत स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थर गडी पेश करना न्यायालय में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थर गडी पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रानीवाड़ा खुर्द के खसरा नंबर 1682 रकबा 2.46 सीमाकन के लिए कमेठी गठित कर पुलिस इमदाद मय सीमाज्ञान करने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नही होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 10 राजपेरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माठ के विवाद पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 10 राजपेराकार द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई।

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता 1 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 02.05.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर खसरा नम्बर 1682 व खसरा नम्बर 1614 की माठ पर पड़ौसी खातेदारों द्वारा विवाद करने पर सीमाकंन नहीं किया गया। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1682 रकबा 2.46 हेक्टेयर आराजी के दक्षिणी माठ पर मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1614 रकबा 2.54 हैक्टेयर आराजी के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—ः आदेश ः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:23 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा रानीवाडा खुर्द के खसरा नम्बर 1682 रकबा 2.46 हैक्टेयर व मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1614 रकबा 2.54

हेक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:14:23 IST
Reason: SelfAttested